RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक १] **गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २३-मार्च १, २०१७/फाल्गुन ४-१० शके १९३८** **[पृष्ठे ६६**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन् २०१५.— महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इ.एम.बी.सी.) के लिये आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के प्रवेश तथा राज्य के अधिन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिये) अधिनियम, २०१४. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन् २०१५.— फेल्म विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४.	१०
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन् २०१५.— अजिंक्य डी.वाय. पाटील विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४. . .	२९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन् २०१५.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२. . .	४७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१५.— महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, १९९५. . .	४९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१५.— महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१५. . .	५३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१५.— महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	६४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१५.— महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	६५

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2015.

THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS OR POSTS IN THE PUBLIC SERVICES UNDER THE STATE) FOR EDUCATIONALLY AND SOCIALLY BACKWARD CATEGORY (ESBC) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ जनवरी, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. मंगला ठोंबरे,
प्रभारी प्रारूपकार-नि-सह सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR RESERVATION OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS OR POSTS IN PUBLIC SERVICES UNDER THE STATE TO EDUCATIONALLLY AND SOCIALLY BACKWARD CATEGORY (ESBC) IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR THEIR ADVANCEMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ९ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) को उनकी उन्नति के लिये राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिये और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि पिछड़े वर्गों के नागरिकों की शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिये राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की नीति, महाराष्ट्र राज्य के निर्माण से महाराष्ट्र राज्य में कार्यन्वयन के अधीन है ;

और क्योंकि भारत में आरक्षण संकल्पना के जनक के रूप में जाने जानेवाले श्री राजर्षि शाहू महाराज द्वारा १९०२ वर्ष में क्रमशः २६ जुलाई १९०२ और २ अगस्त १९०२ में करवीर संस्थान (कोल्हापुर) में सार्वजनिक रोजगार में सीटों का आरक्षण मुहैया करने के लिये दो अधिसूचनाएँ जारी की थी और उनसे डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को भारत के संविधान में आरक्षण के लिये उपबंध करने के लिये प्रेरणा मिली थी और सन् १९०२ में की उक्त दो अधिसूचनाओं में पिछड़े वर्गो को आरक्षण का उपबंध किया गया था, जिसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया था ;

और क्योंकि तत्कालीन बम्बई सरकार के दिनांकित २३ अप्रैल १९४२ के संकल्प द्वारा, मराठा और अन्य जातियों समेत लगभग २२८ समुदाय मध्यमवर्ग और पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित किये गये थे और उक्त संकल्प की संलग्न अनुसूची में क्रमसंख्या १४९ में मराठा समुदाय को दर्शाया गया है ;

और क्योंकि मराठा आरक्षण का मामला वर्ष २००४ में महाराष्ट्र राज्य पिछड़े वर्ग आयोग को उनकी सिफारिशों के लिये निर्दिष्ट किया गया था और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने २८ जुलाई २००८ को अपनी २२ वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें यह कहा गया था कि "अन्य पिछड़े वर्ग" के प्रवर्ग में मराठा समुदाय को ऐसा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ;

और क्योंकि मंत्रिमंडल उप-समिति ने विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात्, मराठा समुदाय के शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर सांख्यिकी डाटा अपर्याप्त होने की अपनी रिपोर्ट देने के लिये मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को वापस भेजा था और आरक्षण की विद्यमान संरचना को बाधा डाले बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जा सकेगा या कैसे दिया जाये के बारे में अपनी राय देने का अनुरोध भी किया था ;

और क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये बारंबार अनुरोध करने के पश्चात्, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने केवल २२ वीं रिपोर्ट पर महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ९ की उप-धारा (२) के अनुसार निर्णय लेने के लिये आग्रह किया था ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि सरकार द्वारा नियुक्त की गई राणे समिति ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन से संबंधित सांख्यिकी डाटा पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया था और उसके पश्चात्, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यमान आरक्षण को बाधा डाले बिना शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मराठा समुदाय को आरक्षण के उपबंध करने के लिये अपनी टिप्पणी देने के लिये दुबारा अनुरोध किया था ;

और क्योंकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांकित २० मई २०१४ के अपने पत्र द्वारा, सरकार को आयोग की २२ वीं रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिये अनुरोध किया था ;

और क्योंकि उपर्युक्त पार्श्वभूमि को देखते हुए, यह विश्वास करने की गुंजाइश है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग इस मामले में निर्णय लेने के लिये अनिच्छुक था और अतः सरकार ने, करीब-करीब एक दशक राह देखने के पश्चात्, निर्णय लेने का विनिश्चय किया और सरकार ने २५ जून २०१४ को हुई अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग की २२ वीं रिपोर्ट को अंशतः अस्वीकृत करने और महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ९ की उप-धारा (२) के आधार पर, मराठा समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने से वह आरक्षण के लिये पात्र है इस कतिपय उपांतरणों को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ;

सन् २००६ का महा. ३४।

और क्योंकि राणे समिति द्वारा संग्रहीत सामग्री और डाटा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार की यह राय थी कि मराठा समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है और राज्य के अधीन की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है, अतः रोजगार में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आरक्षण आवश्यक है ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ का खंड (४), किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिये कोई विशेष उपबंध करने के लिये राज्य को समर्थ करता है ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ का खंड (५), किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उन्नयन के लिए, विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है, जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त हो ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद १६ का खंड (४) नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियाँ या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है, जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४), १५(५), १६(४) और ४६ यह अन्य बारे में भी एक, राज्य को अलग वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए राज्य को सशक्त करते हैं।

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य ने, संविधान के अनुच्छेद १६ के खंड (४) के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निराधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़े प्रवर्ग के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ अधिनियमित किया है। सन् २००४ का महा. ८।

और क्योंकि राणे समिति द्वारा संग्रहीत सामग्री और डाटा के आधार पर महाराष्ट्र सरकार की राय यह थी कि मराठा समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का है, और राज्य के अधीन की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व करता है, अतः उनके उन्नति के लिए विशेष उपबंध करना आवश्यक है।

और क्योंकि राज्य सरकार ने, सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात्, नवीन प्रवर्ग अर्थात् शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) सृजित करने का निति निर्णय लिया है औऱ ऐसे नवीन सृजित शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के लिये राज्य में लागू विद्यमान बावन प्रतिशत आरक्षण को बाधा डाले बिना, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त न हो और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों में, भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन ९ जून २०१४ को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रो में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षण को छोड़कर, अलग सोलह प्रतिशत आरक्षण होगा और उक्त प्रवर्ग में मराठा समुदाय को शामिल किया गया है ;

और क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं समेत निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त न हो और भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन इस निमित्त ९ जून २०१४ को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में के आरक्षण को छोड़कर, राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियों या पदों में उनकी उन्नति के लिए राज्य में विद्यमान लागू बावन प्रतिशत आरक्षण को बाधा ड़ाले बिना, नया शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा प्रवर्ग (इएसबीसी) सृजित करने तथा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा प्रवर्ग (इएसबीसी) और जिसमें इस प्रवर्ग के अधीन मराठा समुदाय समवेशित है के लिए, पृथक सोलह प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने के लिए तथा तत्संबंधी या आनुषंगिक मामलों के लिए विधि बनाने हेतु, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और इसलिए, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियाँ या पदों के लिए) अध्यादेश, २०१४, ९ जुलाई २०१४ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार औऱ प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के प्रवेश तथा राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ९ जुलाई २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ। **२.** (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में "प्रवेश प्राधिकरण" का तात्पर्य, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए जिम्मेवार शैक्षणिक संस्थाओं के पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्तियाँ रखनेवाले प्राधिकरण से है ;

(ख) लोक सेवाओं तथा पदों के संबंध में, "नियुक्ति प्राधिकरण" का तात्पर्य, ऐसी सेवाओं या पदों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त किये गये प्राधिकरण से है ;

(ग) "सक्षम प्राधिकरण" का तात्पर्य, धारा ६ के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकरण से है ;

(घ) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं से है जो सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत चाहे वह राज्य द्वारा सहायता या सहायता प्राप्त हो न हो सुसंगत महाराष्ट्र अधिनियमों द्वारा या के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय समेत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करनेवाले से है ;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों कि लिए, "निजी शैक्षणिक संस्थाओं " की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, उन संस्थाओं से है जिन्हें या तो इस अधिनियम में प्रवृत्त होने के पूर्व या उसके पश्चात्, सरकार द्वारा रियायती दरों या किसी अन्य आर्थिक रियायतों में सरकारी भूमि के प्ररूप में सहायता दी जाती है या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञप्ति प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है ;

(ङ) "शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी)" का तात्पर्य, ऐसे प्रवर्ग या नागरिकों के प्रवर्गों से है जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग के नागरिकों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जिन्हें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के रूप में घोषित किया गया है ;

(च) "स्थापना" का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी सरकारी कार्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण या विश्वविद्यालय या कंपनी, या निगम या सहकारी संस्था जिसमें, सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा पूंजी शेयर धारण किया गया है से है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों कि लिए, "सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं " की अभिव्यक्ति में संस्थाओं या उद्योगों जिन्हें या तो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व या पश्चात्, सरकार द्वारा रिआयती दरों या अन्य किसी आर्थिक रिआयतों में सरकारी भूमि के प्ररूप में सहायता दी जाती है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञप्ति प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है वह भी सम्मिलित होगा ;

(छ) "सरकार" या "राज्य सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है।

(ज) "विहित" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(झ) "लोक सेवाओं तथा पदों " का तात्पर्य, राज्य के कार्यों के साथ जुड़े हुए सेवाओं और पदों से है तथा इसमें सेवाओं और पदों समेत,—

(एक) स्थानिक प्राधिकऱण ;

सन् १९६१ का महा. २४। (दो) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन स्थापित सहकारी संस्था जिसमें सरकार शेयर धारक है ;

(तीन) केंद्र या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित बोर्ड या निगम या सांविधिक निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है या कंपनी अधिनियम, १९५६ या कंपनी अधिनियम, २०१३ में परिभाषित सरकारी कंपनी है ; सन् १९५६ का १। सन् २०१३ का १८।

(चार) सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन शैक्षणिक संस्था जो सरकार समेत महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सहायता अनुदान प्राप्त करती है ; और

(पाँच) इस अधिनियम के प्रारंभण दिनांक पर, सरकार द्वारा जो आरक्षण लागू था और जो उप-खंड (एक) से (चार) के अधीन आवृत्त नहीं है के विषय में कोई अन्य स्थापना शामिल होंगी ;

(ञ) "आरक्षण" का तात्पर्य, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (इएसबीसी) के सदस्यों के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए सीटों के आरक्षण से है।

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, का वही अर्थ होगा, जो महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ और किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में क्रमशः उनके समनुदेशित अर्थ से होगा। सन् २००४ का महा. ८।

३. (१) यह अधिनियम निम्न को छोड़कर, राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों या पदों की, की जानेवाली सभी सीधी भरती को लागू होगा,—

(क) चिकित्सा, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में उच्च विशेषित पदों ;

(ख) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले पदों ;

(ग) पैंतालीस दिनों की अवधी से कम न हो अस्थायी नियुक्तियाँ ; और

(घ) कीसी संवर्ग या श्रेणी में जो एकल (एकाकी) पद है।

(२) यह अधिनियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) के सीटों के प्रवेश के लिए लागू होगा।

(३) राज्य सरकार, क्रमशः धारा २ के खंड (घ) और (च) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित किसी सहायता देने के लिए किसी शैक्षणिक संस्था या किसी स्थापना के साथ करार करते या नवीकरण करते समय ऐसी शैक्षणिक संस्था या स्थापना के द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के साथ अनुपालन के लिए शर्त सम्मिलित करेगी।

शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग के समुदाय (ईएसबीसी) के लिए शैक्षणिक संस्थाओं मे सीटों, राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्ति और पदों के लिए आरक्षण।

४. (१) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी संस्थाओं समेत, शैक्षणिक संस्थाओं में चाहे वह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, कुल सीटों के सोलह प्रतिशत, और राज्य के अधीन लोकसेवाओं में सीधी भर्ती में कुल नियुक्तियाँ और पदों के सोलह प्रतिशत, जिसमें मराठा समुदाय शामिल है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षित रखे जायेंगे : सन् २००४ का महा. ८।

परंतु, उपर्युक्त आरक्षण, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन इस निमित्त ९ जून २०१४ को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित पदों के लिए लागू नहीं होगा।

(२) नवोन्नत वर्ग का सिद्धांत, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) को लागू होगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "नवोन्नत वर्ग" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सरकार के सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग द्वारा, जो व्यक्ति नवोन्नत वर्ग में आते हैं उसे इस निमित्त समय-समय पर जारी साधारण या विशेष आदेशों द्वारा यथा घोषित नवोन्नत वर्ग से है।

आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

५. धारा ४ में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग (ईएसबीसी) से संबंधित छात्रों या सदस्यों के दावे, अनारक्षित सीटें, नियुक्तियाँ या पदों के लिए जो जिसे गुणागुण के आधार पर भरे जाएँगे, वह भी विचार विमर्श में लिये जायेंगे और जहाँ ऐसे प्रवर्गों से संबंधित छात्र या सदस्य जिसे गुणागुण के आधार पर चयनित किये गए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के लिए आरक्षित सीटों नियुक्तियाँ या यथास्थिति पदों की संख्या किसी भी मार्ग से प्रभावित नहीं होंगी।

सक्षम प्राधिकारी।

६. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गये नियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, जिला समाज कल्याण अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रुप में नियुक्त करेगी।

(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित किया जाए ऐसे शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

सरकार की निदेश देने की शक्ति।

७. (१) सरकार, लोक हित में, आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के अधीन समय-समय पर पूछताछ करने या समुचित कार्यवाहियाँ करने के निदेश सक्षम प्राधिकारी को देगी और सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर, उसके द्वारा की गई पूछताछ या की गई कार्यवाहियों के परिणामों की रिपोर्ट सरकार को देगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, जैसे वह उचित समझें ऐसे निदेश देगी और ऐसे निदेश अंतिम होगें।

आरक्षित रिक्तियों का अग्रनयन।

८. (१) यदि किसी भर्ती वर्ष के संबंध में, शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्गों (ईएसबीसी) के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षित रिक्ति भरी जानी बाकी है तो, ऐसी रिक्ति सीधी भर्ती के मामले में पाँच वर्षों तक अग्रनीत की जायेगी :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक को पदों को भरने के संबंध में यदि कोई सरकारी आदेश, संकल्प, परिपत्र और कार्यालयीन ज्ञापन प्रवृत्त है तब, वही सरकार द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहृत किये जाने तक, प्रवृत्त बने रहेंगे और सरकार, ऐसे सरकारी आदेशों, संकल्पों, परिपत्रों और कार्यालयीन ज्ञापनों का पुनरीक्षण करने में सशक्त है :

परंतु आगे यह कि, इस अधिनियम की धारा १७ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकारी विभागों को एतद्द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, सीधी भर्ती के लिये विहित किये गये पुनरीक्षित रोस्टर समेत जैसा कि आवश्यक समझे, इस आरक्षण के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिये सरकारी आदेश द्वारा सशक्त किया जायेगा :

परंतु यह भी कि, यदि, मंजूर पदों को हर प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग के लिये कम से कम एक पद आबंटित करना पर्याप्त नहीं होता है तब, आरक्षित पद, इस निमित्त विहित या उपांतरित किये गये सरकारी रोस्टर के आदेशों या नियमों के अनुसरण में, मूल चक्रानुक्रम द्वारा लागू करके भरे जायेंगे और तद्नुसार, रोस्टर बिंदु और आदेश या नियम पुनरीक्षित करने के लिये, सरकार को सशक्त किया गया है।

(२) जब, कोई रिक्ति उप-धारा (१) में यथा उपबंधित अग्रनयीत की गई है तो, वह उस भर्ती वर्ष में जिसमें वह अग्रनयीत की गई है, संबंधित व्यक्तियों के प्रवर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे के सामने नहीं गिनी जायेगी।

परंतु, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, ऐसी अपूरित रिक्तियों को भरने के लिये, विशेष भर्ती मुहिम शुरू कर सकता है और यदि ऐसी रिक्तियाँ ऐसी विशेष भर्ती मुहिम शुरू करने के बाद भी भरी नहीं जाती है तो, जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या से भरी जायेंगी।

अधिनियम का अनुपालन करने का दायित्व और शक्तियाँ।

९. (१) सरकार, लिखित में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दायित्व के साथ, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी के अधीन किसी अधिकारी को सौंपेगी।

(२) सरकार, उसी रीत्या में, प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी, जो ऐसी प्राधिकारी या अधिकारी को समनुदेशित किये गये ऐसे कर्तव्य का प्रभावी रुप से निर्वहन करने के लिये, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को आवश्यक हो।

शास्ति।

१०. (१) कर्तव्य या दायित्व सुपुर्द किया गया कोई प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जो जानबूझकर इस अधिनियम के प्रयोजन के उल्लंघन करता है या उसे विफल करने के आशय से कार्य करता है, तो दोषसिद्धि पर, नब्बे दिनों तक बढ़ाये जा सकने वाले कारावास या पाँच हजार रुपये तक बढ़ाये जा सकनेवाले जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(२) कोई भी न्यायालय सरकार द्वारा इस निमित्त सरकार या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी को छोड़कर, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अभिलेख मंगाने की शक्ति।

११. जब सरकार के ध्यान में यह बात आती है या ध्यान में लायी जाती है कि शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्ग **(ईएसबीसी)** से संबंधित किसी व्यक्ति पर प्रवेश अधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन निर्मित नियमों या इस निमित्त जारी सरकारी आदेशों के अनुपालन के फलस्वरुप, प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो वह, किसी प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा समुचित आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व।

१२. (१) सरकार, आदेश द्वारा, लोक सेवाओं और पदों की नियुक्ति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ, चयन, जाँच और विभाग समिति में शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्ग **(ईएसबीसी)** से संबंधित अधिकारियों के नामनिर्देशन का उपबंध कर सकेगी।

(२) सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी आर्थिक या अन्य रिआयत अनुदत्त कर सकेगी जो उसे शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्गों **(ईएसबीसी)** के हित में आवश्यक समझे।

अनियमित प्रवेश तथा नियुक्तियाँ शून्य होंगी।।

१३. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किये गये कोई भी प्रवेश या नियुक्तियाँ शून्य होंगी।

सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक होगा।

१४. सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

१५. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए, सक्षम प्राधिकारी या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जाएँगी। सन् १८६० का ४५।

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय वृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे।

१६. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण करने वाले नहीं होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

१७. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यता संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि जिसमें यह रखा गया है उस सत्र में या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस आशय का अपना विनिश्चिय, **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम, ऐसे विनिश्चिय की **अधिसूचना** के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभाव हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

व्यावृत्ति।

१८. (१) इस अधिनियम के उपबंध, ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगे जिसमें, चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भण से पहले ही शुरू की गई है और ऐसे मामलों का निपटान विधि के उपबंधों और सरकारी आदेशों के अनुसार उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित थे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, चयन प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन,—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, साक्षात्कार शुरू हो चुका है, या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर भर्ती की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा शुरू हो चुकी है।

(२) उस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों और जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही शुरू की गई है ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित विधि के उपबंधों और सरकारी आदेशों के अनुसार बरते जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी जहाँ,—

(एक) किसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है और ऐसी प्रवेश परीक्षा के लिये प्रक्रिया, शुरू हो चुकी है ; या

(दो) प्रवेश परीक्षा के आधार पर से अन्य प्रवेश के मामले में आवेदन पत्र भरने के लिये अंतिम दिनांक व्यपगत हो चुका है।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

१९. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है, तो सरकार, जैसा अवसर आया हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, यथासंभव शीघ्र, उसके बनाये जाने के पश्चात्, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १३।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १३ का निरसन और व्यावृत्ति ।

२०. (१) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक और सामाजिक रुप से पिछड़े प्रवर्ग **(ईएसबीसी)** के लिए (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के प्रवेश तथा राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए) आरक्षण अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना, आदेश संकल्प, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या की गई नियुक्तियों समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, जारी की गई या, यथास्थिति, बनाई गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2015.

THE FLAME UNIVERSITY ACT, 2014

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा शासन के विधिपरामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE FLAME UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH AND INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १६ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए फ्लेम विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए फ्लेम विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम फ्लेम विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधन बोर्ड से है ;

(ख) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है ;

(ग) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चयद्वारा, जैसे, प्रसारण, दुरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किसी अन्य ऐसी प्रणाली-विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(घ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होगें ;

(ङ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके, महाविद्यालयों, संस्थाओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिस किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(च) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(छ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ज) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(झ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(त्र) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ट) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों या, यथास्थिती, विनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(ढ़) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ण) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

सन् १८६० का २१। सन् १९५० का २९।

(त) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन किसी न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत फौंडेशन फॉर लिबरल ॲन्ड मॅनेजमेंट एज्यूकेशन सोसायटी पूणे से है ;

(थ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(द) " परिनियमों", " आर्डिनन्सों " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ध) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय मे नामांकन किये गये व्यक्ति से है जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(न) " अध्ययन केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;

(प) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य कोई व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(फ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधिन स्थापित किये गये फ्लेम विश्वविद्यालय से है ;

विश्वविद्यालय का निगमन।

३. (१) फ्लेम विश्वविद्यालय, पूणे के नाम सें एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इनके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्त्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी एतद्द्वारा, " फ्लेम विश्वविद्यालय, पूणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय से गठित और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगी और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय स्थित किया जायेगा औऱ उसका मुख्यालय, लव्हाले, ता. मुलशी, पूणे ४११ ०४१, महाराष्ट्र में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में निम्न सम्मिलित होंगें,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य अनुप्रयुक्त तथा रचनात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध कराना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध कराना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्मिर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना, तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपायोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वीं सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(त्र) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड़) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकरन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ़) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों को स्थापित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद या, यथास्थिति, अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमे ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यवत करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशोषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रावृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध कराना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, ऑर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार **व्यतिकारी** के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति कराना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, तट-मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस तथा अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हो, के भुगतान की माँग तथा प्राप्ति करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तर सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये हॉल और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रक्रार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्हीं विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशनों का समय-समय ऐसे अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो।

विश्वविद्यालय सबके लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर, विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय विभागों और संस्ताओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों, (विमुक्त जातियों) खानाबदोश जनजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी निति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिये, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम पाँच करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से पढ़ा जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कठोर अनुपालन का सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों नियमों, परिनियमों ऑर्डिनेन्सों या परिनियमों, या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि सरकार की, अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय बैठक के लिए किया जायेगा :

परंतु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा, नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय, के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपती ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और शर्ते राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमाँ द्वारा विहित की जायेगी।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हाटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्ययालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रुप रो अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियाँ का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है :

परंतु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियाँ के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलाधिपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है को, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है को वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि, किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के साथ, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परंतु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रित्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तोंपर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होंगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और घोषित अग्रिम में करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं औऱ अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मिदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ;

(५) परीक्षाओं के नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों औऱ शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारीयों के सेवा के निबंधन और शर्ते, उनकी शक्तियाँ औ कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. (१) विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(एक) शासी निकाय ;

(दो) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) परीक्षा बोर्ड ; और

(पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकारी।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, उनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे ;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(सात) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का आमंत्रित होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(२) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यता उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों की पुष्टी नहीं है के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती है तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(चार) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(पाँच) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ती पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति औऱ ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा। परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा औऱ धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, हर एक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारम्भण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(दो) प्रत्येक विषय का प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(तीन) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(चार) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हताएँ।

२६. कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुड़ा हुआ है ; या

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के अविधिमान्य कारण द्वारा नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामलें में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में, नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया है और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ती को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियों।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियम, शासकीय निकाय द्वारा बनाया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रिति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझें उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से पहला परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों के उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में पदों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामले है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासकीय निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जाएगें।

(३) प्रबंध मंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा ;

परंतु, प्रबंध मंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त होगी तथा शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएँगें।

प्रथम ऑर्डिनेन्सेस।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियम या परिनियम के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझें शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल

बोर्ड, ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेष योग्यता प्रमाणपत्रों को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक औऱ पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें औऱ नियुक्ति की रीति औऱ परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रवास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों द्वारा जो अन्य सभी मामले ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझें तो, उसकी प्राप्त के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों के सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध मंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स औऱ परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में बनाए गए प्रवेश कडे गुणागुण के आधार पर होंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या निजी एजेंसी द्वारा होंगे ;

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग विद्यार्थियों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीतिके अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी :

परंतु, किसी मामले में कुल आरक्षण पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए सत्तर प्रतिशत सीटे अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फीस संरचना। **३६.** (१) विश्वविद्याल, समय-समय से, अपनी फीरा संरचना तैयार करेगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी।

(२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित समिति के लिए, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होगा। समिति का अध्यक्ष, मुंबई की व्यक्ति जो, उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश से होगा।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किएगए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी औऱ विचार में लेने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस :—

(क) के लिए पर्याप्त—

(एक) विश्वविद्यालय के उत्पादन के आवर्ती व्यय के लिए बैठक ; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधित नहीं ;

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद, यदि सरकार का समाधान हो जाता है, तो फीस संरचना का अनुमोदन करेगा। सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक शेष वैध रहेगी।

(६) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई आर्थिक दायित्व नहीं लेगी।

(७) विश्वविद्याल, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से हो से अन्य की उसके लिए उप-धारा (५) के अधीन हकदार है।

कॅपिटेशन फीस की निषिद्धि। **३७.** (१) विश्वविद्यालय, द्वारा या की और से कोई कॅपिटेशन फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है किसी छात्र के प्रवेश के संबंध में या किसी अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम को अभियोजन या ऐसी संस्था में उच्च दर्जा या श्रेणी में उसकी प्रोन्नति करगा।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन, रोकड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास निधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगो के संगठने से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय, प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगा। जहाँ ऐसे दान की स्वीकृत के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस (कॅपिटेशन फीस संग्रहण की निषिद्धि) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि) अधिनियम, १९८७, की धारा २ के एक (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय सारणी।

३८. (१) प्रत्येक अकादमिक वर्ष के शुरुआत में और किसी मामले में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले नहीं किसी मामले में विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथा संभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझें, निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्टे पाठ्यक्रम के लिए, उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगा और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैतालिस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उसपर, भविष्य में अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय में धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परीणाम घोषित करने में असफल हो रहा है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य अभिनिर्धारित नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या किया जाएगा।

प्रत्यायन।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक (एनएएसी), बैंगलोर से उसके संस्थित होनो से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित अन्य विनियमित निकायों को नॅक (एनएएसी) द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित श्रेणी की जानकारी देगा। विश्वविद्यालय, तत्पश्चात, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निवर्हन और सहायता मुहैया करने के लिए बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

४३. (१) विश्वविद्यालय, का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन बोर्ड तैयार करेगी जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा।

४४. (१) प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगें और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखा परीक्षा की जाएगी।

(२) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक विकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा औऱ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय जैसा उचित समुदों ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय निरीक्षण की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय, से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणीयाँ अभिनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चित कि लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का ही होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजित निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ।

४७. यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया न जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना, और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों, की इस अधिनियम के अधीन जाँच दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तिय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेगी।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम की पूरी नहीं होती और उपाधि, डिप्लोमा, या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासन इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होंगी।

सचिव स्तरीय समिति और विश्वविद्यालय के परिचालन।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की जाँच और आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही, केवल छात्रों को प्रवेश देगी।

नियम बनाने की शक्ति।

४९. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामलें ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उस रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाने ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से, परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगा।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

५०. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजुषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2015.

THE AJEENKYA D. Y. PATIL UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जनवरी, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सय्यद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2015.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE AJEENKYA D. Y. PATIL UNIVERSITY, FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २७ जनवरी, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध तथा तत्संबंधी या उससे अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " प्रबंधन बोर्ड " का तात्पर्य, धारा २२ के अधीन गठीत प्रबंधन बोर्ड से है ;

(ख) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का क्षेत्र जिसके अधीन वह स्थापित किया गया है उससे है ;

(ग) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किसी अन्य ऐसी प्रणाली - विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(घ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे से है ;

(ङ) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या यथास्थिति अध्ययन केंद्रों द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(च) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(छ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, धारा २१ के अधीन गठित शासी निकाय से है ;

(ज) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(झ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ञ) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(ट) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ठ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाये गए परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित से है ;

(ड) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(ढ़) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियम से है ;

(ण) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(त) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, १९५६ की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत डॉ. डी. वाय. पाटील इन्फ्रा फाउंडेशन से है ; सन् १९५६ का १।

(थ) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(द) " परिनियम ", " आर्डिनन्स " तथा " विनियम " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ध) " छात्र " का तात्पर्य, जिसने अनुसंधान उपाधि समेत विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओ के लिये पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये विश्वविद्यालय में नामांकन किये गये व्यक्ति से है ;

(न) " अध्ययन केंद्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिए या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा आवश्यक अन्य किसी सहायता देने के लिए स्थापित तथा पोषित या मान्यता प्राप्त केंद्र से है ;

(प) " अध्यापक " का तात्पर्य, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य या अन्य किसी व्यक्ति से है, जिसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए शिक्षण देने या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देने के लिए रखा गया है ;

(फ) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय से है ;

विश्वविद्यालय का निगमन।

३. (१) अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे वे सभी एतद्द्वारा, " अजिंक्य डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय " नामक निगमित निकाय से गठित और घोषित है।

(३) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उन पर वाद चलाया जाएगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को, उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय संस्थित किया जायेगा और उसका मुख्यालय, डॉ. डी. वाय. पाटील नॉलेज सिटी, चारहोली बुद्रुक, व्हाया लोहगाव, पुने ४१२ १०५, महाराष्ट्र में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में, निम्न सम्मिलित होगा,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक अनुशासनों, जैसे कि इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यम, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध करके, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाँथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा नियोजन करना ;

(च) शिक्षा तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ स्थापित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रों की निर्मिति करना, तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक-आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिती करना ;

(ञ) औद्योगिक तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध कराना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य कोई मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन, पद्धतियों का ढाँचा और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोणों को स्थापित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का मान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय शिक्षण परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद या, यथास्थिति, अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कार्य।

५. विश्वविद्यालय की निम्न शक्तियाँ और कार्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान के संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमे ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध कराना तथा सभी उपायों (जिसमे पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यवत कराना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ साथ तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों तथा परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसर की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय कराना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा की विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन कराना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्ति करना ;

(बारह) पारस्परिक स्वीकार्य निबंधनों और शर्तो पर अनुसंधान परियोजनाओं को उपक्रमित करना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध कराना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, देश के भीतर या बाहर व्यतिकारिता के आधार पर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशनों के अनुसार, महाविद्यालयों, संस्थाओं, परिसर मुक्त केंद्रों, तट-मुक्त परिसर तथा अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस तथा अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फी संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्ति करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य निबंधनों और शर्तो पर अन्य संस्थाओं से सहयोग करना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार, विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का संगठन करना और जिम्मा उठाना ;

(पच्चीस) सभाभवन तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये सभाभवन और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और अन्य ऐसी मान्यता वापस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित कराना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इन्तजाम करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पाया जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियम, २००३ या अन्य किन्हीं विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हो।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेषताएँ या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर निर्गमित आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशत, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तिय सहायक प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी सांविधिक निधि स्थापित करेगी, जो कम से कम पाँच करोंड़ रुपये होंगी, जिसे स्व-प्रेरणा से बढ़ा जा सकेगा परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के किसी उपबंधों, नियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्सों या विनियमों, के विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या समपहत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि को राशि, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन न हो विनिहित रखी जाएगी तब तक सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन की, यह निधि सरकार की अनुमति के बिना नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि नामक एक निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें, निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभार ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गये परामर्श तथा अन्य कार्यों से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान ; तथा

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशि।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता और शर्तें, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों और विनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में कुलपति को हटाना ;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए, न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है या सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को उक्त पद से हटाने के लिए खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पेनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अध्यधीन, तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद कुलपति अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधिक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के विनिश्चयों को निष्पादिक करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है ; सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुरोध करेगा और प्राधिकारी निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय, किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, और जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो, अध्यक्ष शासी निकाय के अनुमोदन के साथ, उसके लिए कारण दर्शाते हूए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष। **१५.** (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौंपी जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार। **१६.** (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन, उसे विश्वविद्यालय की और से करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी। वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नही होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे अमनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों को घोषणा करनेवाला प्रभारी अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों की केवल एक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए, अर्हता और अनुभव परिनियमों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षा कलैंडर अग्रिम में तैयार करना और घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों के समय में प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषि पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों को समय-समय से पुनर्विलोकन और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिये जिम्मेवार होगा।

(५) नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय उसके कर्तव्यों के लिए, आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारीयों के सेवा के निबंधनों और शर्तों, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए, ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(एक) शासी निकाय ;

(दो) प्रबंधमंडल बोर्ड ;

(तीन) अकादमिक परिषद ;

(चार) परीक्षा बोर्ड ; और

(पाँच) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) प्रायोजित निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, उनमें से दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद होंगे ;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौधोगिक का एक विशेषज्ञ होगा ;

(पाँच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(छह) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ; और

(सात) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नही होगा ;

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण उपबंधित करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों के साथ की पुष्टि नहीं है के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवारी नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सूचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नही होती है तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के, बैठकों की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंध मंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापको में से तीन व्यक्ति।

(२) कुलपति प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंध बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(४) प्रबंध बोर्ड प्रत्येक दो महीनें में कम से कम बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंध बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय के अकादमिक निकाय की प्रधान होगी, और इस अधिनियम के उपबंधो और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाएँ लेने और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा। परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रो या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, " परिक्षाओं की अनुसूची " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, हर एक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारम्भण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिसमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक)	कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(दो)	प्रत्येक विषय का प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(तीन)	परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(चार)	परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और निबंधन ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हताए।

२६. कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(क) विकृत वित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए, दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) निजी कोचिंग वर्गो को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(घ) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुड़े होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियाँ संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कृत्य या कार्यवाहियाँ किसी रिक्ति के केवल कारण द्वारा या उसके गठन में त्रुटि से अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथा संभव शीघ्र, ऐसी रिक्ति के स्थान में, व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त या नामनिर्देशित सदस्य से भरी जायेगी है और अस्थायी रिक्ति भरने के लिए इसप्रकार नियुक्त या नामनिर्दिशित किया गया व्यक्ति, ऐसे सदस्य की अवशेष पदवधि के लिए, जिसके स्थान पर वह इसप्रकार गया है ऐसे प्राधिकरण नियुक्त या नामनिर्देशित किया या निकाय का सदस्य होगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा वह आवश्यक समझें समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों के गठन ऐसा होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा किया जाएगा और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और तद्धीन बनाए गए नियम, विश्वविद्यालय को प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्ही मामलों के लिए उपबंध कराए जाएँगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों का गठन, शक्तियों और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्टार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों की पुष्टि ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने के संबंध में तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिये उपबंध ;

(ज) सीटों के आरक्षण के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, शासी निकाय, द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियम पर विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महिने के भीतर उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कराए जाएँगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का सृजन और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों के उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीयें की संख्या का परिवर्तन ;

(झ) सभी अन्य मामले इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाये जाएँगे।

(३) प्रबंधन बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा।

परंतु, प्रबंधन बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी गठन या प्रतिष्ठा, शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम या परिनियम के संशोधन नहीं बनाएगा, जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित में होगी तथा शासकीय निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षण का स्तरमान, शिक्षण तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधन बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डिनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, कुलपति द्वारा बनाए जाएँगे जो कि शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, उनके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंधन बोर्ड, ऐसे प्रथम आर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा ऐसे उनके नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित अध्ययन की पाठ्यचर्या ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ प्रमाणपत्रों को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित अर्थ में वही होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय परीक्षक तथा अनुसीमक के कर्तव्य समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रवास में विद्यार्थियों के आवास की शर्तें ;

(ज) विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए है ;

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) अन्य सभी मामलें जिसे इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया कराना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सन्सों पर विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्त के दिनांक से, चार महीनों के भीतर उसका अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंध बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों के सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी, प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदन किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधन बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों तद्धीन बनाए गए परिनियम और ऑर्डिनेन्सस से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय मे प्रवेश गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या निजी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाती, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विकलांग छात्रो के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार, आरक्षित रखी जाएँगी :

परंतु, किसी मामलें में कुल आरक्षण ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(४) महाराष्ट्र राज्य में अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए सत्तर प्रतिशत सीटे अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखी जायेगी।

फीस संरचना।

३६. (१) विश्वविद्यालय, समय-समय से, अपनी फीस संरचना तैयार करेगी और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के लिए उसे भेजेगी।

(२) सरकार, विश्वविद्यालय से प्राप्त फीस संरचना प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के लिए विहित रीत्या में फीस संरचना पुनर्विलोकन समिति गठित करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन उल्लेखित समिति के लिए, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती होगा। समिति का अध्यक्ष, व्यक्ति जो, उच्च न्यायालय, मुंबई द्वारा सिफारिश किया गया होगा।

(४) समिति, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए फीस संरचना का विचार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और विचार में लेने के पश्चात्, उसकी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी चाहे प्रस्तावित फीस :—

(क) के लिए पर्याप्त—

(एक) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय पुरा करने के लिए स्रोत निर्माण करने ; और

(दो) विश्वविद्यालय के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक बचत ; और

(ख) अनुचित रूप से अत्याधिक नहीं ;

(५) उप-धारा (४) के अधीन सिफारिशों की प्राप्ति के बाद सरकार का यदि समाधान हो जाता है, तो फीस संरचना का अनुमोदन किया जायेगा। सरकार द्वारा अनुमोदित फीस संरचना, अगले पुनरीक्षण तक शेष वैध रहेगी।

(६) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय में प्रवेश किए हुए पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए प्रतिपूर्ति फीस नहीं देगी और कोई वित्तीय दायित्व नहीं लेगी।

(७) विश्वविद्यालय, किसी फीस का प्रभार नहीं करेगी चाहे किसी भी नाम से हो से अन्य की उसके लिए उप-धारा (५) के अधीन हकदार है।

सन् १९८८ का महा. ६।

३७. (१) विश्वविद्यालय, द्वारा या की और से कोई कॅपिटेशन फीस संग्रहीत नहीं की जाएगी या ऐसी संस्था के प्रबंधन के लिए जो व्यक्ति प्रभारी है या जिम्मेदार है किसी विद्यार्थी के प्रवेश के संबंध में या से विचार करेगा और किसी अध्ययन की पाठ्यचर्या का अभियोजन करेगा या ऐसी संस्था में उच्च दर्जा मानक या श्रेणी की उसकी प्रोन्नति करेगा। कॅपिटेशन फीस की निषिद्धि।

(२) उप-धारा (१) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, प्रबंधन, रोकड़ या किस्म में विहित रीत्या विन्यास निधि व्यक्तियाँ या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय, प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्थागत संस्थान में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे दान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी विद्यार्थी के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण प्रतिव्यक्ति फीस महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस की निषिद्धि) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खंड क के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।

३८. प्रत्येक अकादमिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामलें में प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय जैसा कि मामला हो, उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यचर्या के लिए सत्र भाँति या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का सख्त पालन होगा : परीक्षाओं की समय सारणी।

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए विश्वविद्यालय इस अनुसूची का अनुसरण करने के लिये असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र, सरकार को परीक्षाओं की प्रकाशित अनुसूची रवानगी करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि वह उचित समझे निदेश जारी करेगी।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यचर्या के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा का प्रयास परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालिस दिनों के भीतर घोषित करेगी : परिणामों की घोषणा।

परंतु कि, चाहे जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पेंतालिस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणो में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उसपर भविष्य में अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, निदेश जारी करेगी।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम विश्वविद्यालय में धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विश्वविद्यालय परीणाम घोषित करने में असफल हो सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य अभिनिर्धारित नहीं होगी।

४०. प्रत्येक अकादमिक वर्ष में विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, उपाधियों, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। दीक्षांत समारोह।

प्रत्यायन।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बैंगलोर से उसकी स्थापना से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन प्राप्त करेगा तथा सरकार और ऐसे अन्य विनियमित निकाय विश्वविद्यालय को एनएएसी (नॅक) द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, की जानकारी देगा। विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमो, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के सभी नियमों, विनियमों, मानों आदि के पालन के साथ आबद्ध होगी तथा सभी ऐसी सुविधाएँ और सहायता का उपबंध करेगी जो उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक हो।

वार्षिक रिपोर्ट।

४३. (१) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी जिसमें अन्य मामलों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा।

४४. (१) प्रबंधन बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) शासी निकाय के अवलोकन के साथ वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार को सलाह यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय जैसा उचित समझें ऐसे निर्देश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को सूचित करेगी।

विश्वविद्यालय निरीक्षण की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणीयाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श करने कें बाद जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशे विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय, सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिती के लिए आवश्यक के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, सरकार, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बँच को ही होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाता है।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पच्चीस वर्ष पहले प्रायोजित निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त सरकार में निहित होंगी।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकरा की विशेष शक्तियों।

४७. यदि सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों परिनियमों या ऑर्डिनेन्सो के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश बनाया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई नोटिस पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या,** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्सों के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश बना सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी और उसपर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना, और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २।

(५) इस अधिनियम के अधीन जाँच करने वाले जाँच अधिकारी या अधिकारियों, को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या आर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तिय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के परिसमापन या प्रशासन की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी तथा सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम की पूरी नहीं होती और उपाधि, डिप्लोमा, या यथास्थिति पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(८) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बँच के उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, प्रशासन इस प्रभाव की रिपोर्ट सरकार को देगी।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन के आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी अस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति और विश्वविद्यालय के परिचालन।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय की और प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत किये गये उपक्रमों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धातों की जाँच और आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और नियोजन विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन प्राप्त रसीद पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देनेवाली अधिसूचना **राजपत्र** में प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश देगी।

नियम बनाने की शक्ति।

४९. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामलें और ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाये या किया जा सकें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो अनुक्रमिक सत्रों में हों, और यदि उस सत्र में जिसमे उसे रखा गया है उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व, दोनो सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

५०. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसे बना सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद)

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2015.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2012.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति, की अनुमति दिनांक १७ फरवरी २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE ACT, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ०४ सन् २०१५।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३ मार्च २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३७क की निविष्टि।।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा ३७ के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

सरकारी भूमि और नझुल भूमि के संबंध में विक्रय, अन्तरण, पुनर्विकास, उपयोग आदि के परिवर्तन पर निर्बन्धन।।

" **३७.** (१) प्रत्येक विक्रय, अन्तरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र सूचकांक (एफ एस आय) के उपयोग, अन्तरणीय विकास अधिकारों (टी डी आर) के अन्तरण या अमरावती और नागपुर राजस्व प्रभागो में किसी सरकारी भूमि के उपयोग में परिवर्तन करना जिसमें अमरावती और नागपुर राजस्व प्रभागो में **नझुल** भूमियों समेत इस संहिता के प्रारम्भण के पूर्व, इस संहिता के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या भू-राजस्व से संबंधित किसी विधि के अधीन, विभिन्न प्रयोजनों के लिये अनुदत्त की गई है, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने के अध्यधीन होगी।

(२) राज्य सरकार, उप-धारा (१) के अधीन, यथा आवश्यक ऐसी अनुमति अनुदत्त करते समय ऐसे प्रीमियम या प्रभार और अनर्जित आय का शेयर जैसा कि विहित किया जाए ऐसे निबंन्धनों और शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय से, सामान्य या विशेष आदेश जारी करके वसूल करेगी।

सन् २०१५ का महा. ४।

परंतु, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ के प्रारम्भण के पूर्व, अनुदत्त भूमि मंजूरी के आदेश या निष्पादित पट्टा विलेख के निबंन्धनों और शर्तों से यदि, इस धारा के उपबंध या तद्धीन जारी किन्ही ऐसे आदेशों से असंगत है तो ऐसे भूमि मंजूरी के ऐसे आदेश या पट्टा विलेख के निबंन्धन और शर्ते अभिभावी होंगी।

परंतु आगे यह कि, अमरावती और नागपुर राजस्व प्रभागों में **नझुल** भूमियों के मामले में, उप-धारा (१) के उपबंध, भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये,—

(क) " सरकारी भूमि " का तात्पर्य, उससे है जिसमें सरकारी भूमि या ऐसी भूमि का भाग या ऐसी भूमि या उसके भाग पर खडे भवन या ऐसी भूमि या भवन या ऐसी भूमि के भाग या भवन के संबंध में किसी अधिकार या उद्‌भूत किसी लाभ या शेयर शामिल होंगे।

(ख) " **नझुल** भूमि " का तात्पर्य, भवन, सड़क, बाजार, खेल का मैदान या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे अकृषक प्रयोजन के लिये उपयोगी सरकारी भूमि के प्रकार, से है या **नझुल** भूमि जिस पर प्रतिकर करार नहीं है ऐसे लम्बे या अल्पावधि पट्टों पर अनुदत्त ऐसी भूमियों समेत भविष्य में ऐसे उपयोग के लिये अन्तर्विहित है से है।"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2015.

THE MAHARASHTRA ANIMAL PRESERVATION (AMENDMENT) ACT, 1995.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २६ फरवरी २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2015.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA ANIMAL PRESERVATION ACT, 1976.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ सन् २०१५।

(जो कि राष्ट्रपती की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ४ मार्च २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, १९७६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९७७ का महा. ९ ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, १९७६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, १९९५ कहलाए।

सन् १९७७ का महा. ९।

२. महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, १९७६ में (जिसे इसमें आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है), के दीर्घ शीर्षक में, " गायों का " शब्दों से प्रारंभ वाले और " कृषि प्रयोजन हेतु " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग में, निम्न शब्द रखे जायेंगे, अर्थात् :—

सन् १९७७ का महा. ९ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन ।

" और दूध, वर्धन, भारसाधन या कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त गायों, साँड और बैलों का संरक्षण करना और उक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त अन्य कतिपय पशूओं का संरक्षण करने हेतु हत्या पर निर्बंधन के लिए "।

सन् १९७७ का महा. ९ की उद्देशिका में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, " गायों के " शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " कृषि प्रयोजन हेतु " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान में निम्न रखा जाएगा अर्थात् :—

और दूध, वर्धन, भारसाधन या कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त गायों, साँड और बैलों का संरक्षण करना और उक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त कतिपय अन्य पशूओं का संरक्षण करने हेतु हत्या पर निर्बंधन के लिए "।

सन् १९७७ का महा. ९ की धारा १ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा १ की, उप-धारा (४) में, " गायों " शब्द के पश्चात्, " साँड और बैल " शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९७७ का महा. ९ की धारा ५ में संशोधन ।

५. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(क) " गाय " शब्द के पश्चात् " साँड या बैल " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में, " गाय " शब्द के पश्चात् " साँड तथा बैल " शब्द जोडे जायेंगे।

सन् १९७७ का महा. ९ में धारा ५क से ५घ की निविष्टि।

६. मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात्, निम्न धाराएँ निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

हत्या के लिए गाय, साँड तथा बैलों के परिवहन और निर्यात पर प्रतिषेध ।

" ५क. (१) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके या गाय, साँड़ या बैल की हत्या की जाएगी या हत्या किए जाने की संभावना है इसका ज्ञान होते हुए भी, राज्य के किसी भी स्थान से, राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर उस गाय, साँड या बैल की इस प्रकार हत्या करने के प्रयोजन के लिए, परिवहन नहीं करेगा या परिवहन के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा या परिवहन का कारण नहीं बनेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, नियमों का उल्लंघन करके या किसी गाय, साँड या बैलों की हत्या के लिए प्रत्यक्ष या अभिकर्ता द्वारा आयात या निर्यात नहीं करेगा या राज्य के बाहर नहीं ले जायेगा।

गाय, बैल तथा साँड के किन्हीं अन्य रीत्या में क्रय, विक्रय तथा निष्कासन पर प्रतिषेध।

५ख. कोई भी व्यक्ति, हत्या करने के लिए या किसी गाय, साँड़ या बैल की हत्या की जाएगी यह जानकर भी या मानने का कारण होते हुए भी, ऐसे गाय, साँड या बैल का क्रय, विक्रय नहीं करेगा या अन्यथा उनका निपटान नहीं करेगा या क्रय, विक्रय या अन्यथा निपटान नहीं करेगा।

गाय, बैल या साँड के **माँस** रखने को प्रतिषेध।

५ग. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हत्या किये गये गाय, बैल या साँड के माँस को अपने पास नहीं रखेगा।

महाराष्ट्र राज्य के बाहर हत्या किये गये गाय, बैल, या साँड के **माँस** को कब्जे में नहीं रखेगा।

५घ. कोई भी व्यक्ति, महाराष्ट्र राज्य के बाहर हत्या किए गए किसी गाय, बैल, या साँड के माँस को अपने पास नहीं रखेगा।"।

सन् १९७७ का महा. ९ की धारा ८ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ८ की,—

(क) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ जोडी जायेंगी, अर्थात् :—

(३) उप-निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धाराएँ ५क, ५ख, ५ग या ५घ के उपबंधों के अनुपालन की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, अपना समाधान करेगा कि, उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया हैं,—

(क) गाय, साँड या बैल के निर्यात के लिये उपयोग में लाये गये या उपयोग के आशयित किसी वाहन में प्रवेश सकेगा, रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा या किसी व्यक्ति को प्रवेश करने, रोकने या तलाशी करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा ;

(ख) गाय, साँड या बैल, जिसके संबंध में उसे संदेह है कि, धारा ५क, ५ख, ५ग या ५घ के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, हो रहा है या होने वाला है, ऐसे वाहनों के साथ, जिसमें ऐसे गाय, साँड या बैल पाए गये, उसका अभिग्रहण करना या अभिग्रहण को प्राधिकृत करना ; और तत्पश्चात्,

इस प्रकार अभिग्रहण किये गये ऐसे गाय, बैल या साँड और वाहनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु ले जाने के लिए और प्रस्तुत करने तक उनकी ऐसी प्रस्तुति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय किये जायेंगे या उसे प्राधिकृत किया जायेगा।

परंतु, प्रलंबित विचारण, अभिगृहित गाय, साँड या बैल नजदीकी **गोसदन, गोशाला, पांजरपोल, हिंसा निवारण संघ** या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठन जो ऐसी अभिरक्षा का स्वीकार करने में इच्छुक हो, उन्हें सौंपे जायेंगे और अभियुक्त, न्यायालय के आदेश के अनुसार, उक्त किसी संस्था या संगठन के साथ अभिरक्षा में उनके रहने की अवधि के लिये उनके रखरखाव के लिये भुगतान करने का दायी होगा।

सन् १९७४ का २।

(४) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १०० के उपबंध, जहाँ तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशियाँ और अभिग्रहण के लिये लागू होंगे ”।

(ख) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

“ प्रविष्टि, तलाशी, अभिग्रहण और अभिरक्षा की शक्ति।”।

८. मूल अधिनियम की धारा ९ में,— सन् १९७७ का महा. ९की धारा ९ में संशोधन ।

(क) “ इस अधिनियम के किन्हीं उपबंध ” शब्दों के स्थान में, “ धारा ५, ५क या ५ख के उपबंध ” शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) “ छह महीने ” शब्दों के स्थान में “ पाँच वर्ष ” शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) “ एक हजार रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ दस हजार रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये गये विशेष और पर्याप्त कारणों के प्रयोजनार्थ के सिवाय, ऐसा कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा। ”;

(ङ) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

“ धारा ५, ५क या ५ख के उल्लंघन के लिये शास्ति ”।

९. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्न धाराएँ, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७७ का महा. ९ में धारा ९क और ९ख की निविष्टि ।

“ **९क.** जो कोई भी, धारा ५ग, ५घ या ६ के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, दोषसिद्धि पर, जो एक वर्ष तक बढायी जा सकनेवाली अवधि के कारावास से या जुर्माना, जो दो हजार रुपयों तक बढाया जा सकेगा के साथ दण्डित किया जायेगा। धारा ५ग, ५घ या ६ के उल्लंघन के लिये शास्ति ।

९ख. किसी विचारण में, धारा ९ या ९क के अधीन दंडनीय अपराध के लिये, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिये, यह साबित करने का भार कि, गाय, साँड या बैल की हत्या, परिवहन, राज्य के बाहर निर्यात, विक्रय, क्रय या उनके मांस का कब्जा रखना इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं था, अभियुक्त पर होगा।”। अभियुक्त पर सबूत का भार ।

१०. मूल अधिनियम की धारा १० में,— सन् १९७७ का महा. ९ की धारा १० में संशोधन।

(क) “ और अजमानतीय ” शब्द अंत में जोडे जायेंगे ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में, “ और अजमानतीय ” शब्द जोडे जायेंगे।

सन् १९७७ का महा. ९ की धारा ११ में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा ११ मे " धारा ९ " शब्द और अंक के पश्चात् " या धारा ९ क " शब्द, अंक और अक्षर जोडे जायेंगे।

सन् १९७७ का महा. ९ की धारा १४ में संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा १४ के,—

(क) खण्ड (क) में, " गाय " शब्द के पश्चात्, " साँड और बैल " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, " गाय " शब्द के पश्चात्, " साँड और बैल " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (ग) में, " गाय " शब्द के पश्चात्, " साँड और बैल " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

सन् १९७७ का महा. ९ की अनुसूची में संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की संलग्न अनुसूची में " साँड, बैल " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2015.

THE MAHARASHTRA (SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 1995.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० मार्च, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव, और विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2015.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2015.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २३ मार्च, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१५ कहलाए।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के लिये, ३५ अरब, ३६ करोड़, ९६ लाख, २० हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर पैंतीस अरब, छत्तीस करोड़, छियानबे लाख, बीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग। **३.** इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		गृह विभाग।				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	३,०००	. . .	३,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	. .	७,११,३३,०००	. . .	७,११,३३,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	७,११,३६,०००	. . .	७,११,३६,०००
		राजस्व तथा वन विभाग।				
सी-२	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।	२०३०, स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण।		६४,८५,०९,०००	. . .	६४,८५,०९,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	९,१३,०५,०००	. . .	९,१३,०५,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	२१,१४,९२,११,०००	. . .	२१,१४,९२,११,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. . . .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२१,८८,९०,२६,०००	. . .	२१,८८,९०,२६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।				
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषिकर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	२,०००	. . . .	२,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	२,०००	. . . .	२,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।		१,०००	. . . .	१,०००
		नगर विकास विभाग।				
एफ-२	नगर विकास और अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगर विकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२,४५,७०,७३,०००	. . . .	२,४५,७०,७३,०००
एफ-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवा। ३४७५, अन्य, सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	५,८०,९३,०००	. . . .	५,८०,९३,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	२,५१,५१,६६,०००	. . .	२,५१,५१,६६,०००
		वित्त विभाग।				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,६७,०३,०००	. . . .	२,६७,०३,०००

जी-३	ब्याज अदायगियाँ और ऋण सेवाएँ।	२०४८, ऋण में कमी या परिहार करने के लिये विनियोग।	. .	. . .	५,२४,४६,०६,०००	५,२४,४६,०६,०००
		२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	. . .	. . .
		कुल—वित्त विभाग।	. .	२,६७,०३,०००	५,२४,४६,०६,०००	५,२७,१३,०९,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग।				
एच-६	लोक निर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।	. .	. . .	८,६०,०००	८,६०,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	. . .	८,६०,०००	८,६०,०००
		जल स्रोत विभाग।				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	१,६६,७१,०००	१,६६,७१,०००
		कुल—जल स्रोत विभाग।	. .	. . .	१,६६,७१,०००	१,६६,७१,०००
		विधि तथा न्याय विभाग।				
जे-१	न्याय प्रशासन। . .	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१,०००	२,३९,५५,०००	२,३९,५६,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१,०००	२,३९,५५,०००	२,३९,५६,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।				
के-३	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखन सामग्री तथा मुद्रण	. .	२,३२,१०,०००	. . .	२,३२,१०,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग	. .	२,३२,१०,०००	. . .	२,३२,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्राम विकास तथा जल संरक्षण विभाग।				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।		. . .	२२,३८,३४,०००	२२,३८,३४,०००
एल-२	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	५०,०१,०००	. . . .	५०,०१,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. . .	८०,००,००,०००	८०,००,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	५०,०१,०००	१,०२,३८,३४,०००	१,०२,८८,३५,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।				
एम-२	खाद्य । . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	१,४४,९१,८५,०००	. . .	१,४४,९१,८५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	१,४४,९१,८५,०००	. . .	१,४४,९१,८५,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		जिला विभाग।				
ओ-१	जिला प्रशासन । . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—जिला विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग।				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२,०००	. . .	२,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।

एस-१	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य। . .	२२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य।	. .	६८,२८,९६,०००	. . .	६८,२८,९६,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।	. .	६८,२८,९६,०००	. . .	६८,२८,९६,०००

जनजाति विकास विभाग।

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई।		१५,०००	. . .	१५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।				
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	१५,०००	. . .	१५,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।				
वी-२	सहकारिता । . .	२२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग । ३४५१, सचनिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. .	७४,६२,०००	. . .	७४,६२,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	. .	७४,६२,०००	. . .	७४,६२,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदागियाँ।	. .	. . .	१६,२३,१०,०००	१६,२३,१०,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा। . .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	२६,५६,१०,०००	. . .	२६,५६,१०,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राज्यस्व परिव्यय। . .	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	३,३४,०१,०००	. . .	३,३४,०१,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	. .	२९,९०,११,०००	१६,२३,१०,०००	४६,१३,२१,०००
		मराठी भाषा विभाग।				
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	. .	६,०००	. . .	६,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	. .	६,०००	. . .	६,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	२६,९६,८८,२६,०००	६,४७,२२,३६,०००	३३,४४,१०,६२,०००

ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय ।	४०५५, पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय ५०५५, परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय ।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—गृह विभाग ।	. .	१,०००	. . .	१,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग

डी-८	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय ।	४४०३, पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	२,०९,७३,०००	. . .	२,०९,७३,०००
डी-९	मत्स्यउद्योग पर पूँजीगत परिव्यय ।	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूँजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्यउद्योग के लिये कर्ज।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग।	. .	२,०९,७५,०००	. . .	२,०९,७५,०००

वित्त विभाग

जी-९	लोक ऋण तथा आंतर राज्यीय निपटान।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ६००४, केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम। ७८१०, आंतर राज्यीय निपटान।	. . . .	. . .	१,६५,३७,४७,०००	१,६५,३७,४७,०००
		कुल—वित्त विभाग ।	. .	. . .	१,६५,३७,४७,०००	१,६५,३७,४७,०००

लोक निर्माण कार्य विभाग

एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूँजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यंकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	२,०००	. . .	२,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जलस्त्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	३०,०००	. . .	३०,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	३०,०००	. . .	३०,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-११	ऊर्जा पर पूँजीगत परिव्यय।	४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज।		१,०००	. . .	१,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूँजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय।	. .	१२,०००	. . .	१२,०००

		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०१, बडी तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ४७०२, लघुसिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।			
		कुल—जनजाति विकास विभाग। . . .	१२,०००	. . .	१२,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग			
एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	. . ४२३५, सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत लागत। ४२३६, पोषण पर पूँजीगत लागत। . .	२५,२६,०३,०००	. . .	२५,२६,०३,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग। . .	२५,२६,०३,०००	. . .	२५,२६,०३,०००
		जलआपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग			
वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय ।	४२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय । ६२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज ।	११,८७,०००	. . .	११,८७,०००
		कुल—जलआपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग । . .	११,८७,०००	. . .	११,८७,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय। . .	२७,४८,११,०००	१,६५,३७,४७,०००	१,९२,८५,५८,०००
		कुलयोग . .	२७,२४,३६,३७,०००	८,१२,५९,८३,०००	३५,३६,९६,२०,०००

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2015.

THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ मार्च, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS, ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ०७ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ मार्च, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९५९ का ३।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१५, कहलाये।

सन् १९५९ का ३ की धारा १०-१क में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम (जिसे इसमें, आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १०-१क के, प्रथम परंतुक में, " ३१ दिसंबर २०१३ के पूर्व " शब्दों अंकों, और अक्षरों के स्थान में, " ३१ दिसंबर २०१५ के पूर्व " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे। सन् १९५९ का ३।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०-१क में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा ३०-१क के, प्रथम परंतुक में " ३१ दिसंबर २०१३ के पूर्व " शब्दों अंकों और अक्षरों के स्थान में " ३१ दिसंबर २०१५ के पूर्व " शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2015.

THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ मार्च, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सय्यद,
प्रधान सचिव एवं विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ मार्च, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है और इसलिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ प्रख्यापित किया जाता है ;

सन् १९९४ का महा. ३५।

सन् २०१५ का अध्या. क्र. ४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतदद्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ४ मार्च, २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९९४ का महा. ३५ की धारा १२ में संशोधन।

सन् १९९४ का महा. ३५।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १२, की उप-धारा (७) में, " बारह महिने से अनधिक पदावधि के लिये " शब्दों के स्थान में, " अठारह महिने से अनधिक पदावधि के लिये " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४ का निरसन और व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ४ का

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत किसी बात या की गई कोई कर्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.